2017 का विधेयक सं.1

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1970 के राजस्थान अधिनियम सं. 1 की धारा 30 का संशोधन.- राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम सं.1), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 30 की उप-धारा (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास रुपया रजिस्ट्रीकरण शुल्क के साथ किया जायगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे रजिस्ट्रीकरण शुल्क के साथ किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1970 के राजस्थान अधिनियम सं. 1 की धारा 31 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "जिस पर उसका नाम रजिस्ट्रीकृत किया गया है, से" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "चिकित्सा व्यवसाय करने का हकदार होगा" के पूर्व विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन वर्ष तक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी कालावधि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये," प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए पच्चीस रुपया नवीकरण शुल्क" के स्थान पर

अभिव्यक्ति "प्रत्येक पांच वर्ष की कालावधि के लिए ऐसे नवीकरण शुल्क, जो विहित किया जाये," प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1970 के राजस्थान अधिनियम सं. 1 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 में विद्यमान अभिव्यक्ति "जो पांच रुपये से अनधिक हो, जैसी कि वह विहित की जाये," के स्थान पर अभिव्यक्ति "जो विहित की जाये," प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 1970 के राजस्थान अधिनियम सं. 1 में धारा 49-क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 49 के पश्चात् और विद्यमान धारा 50 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"49-क. राज्य सरकार की कतिपय मामलों में चिकित्सा व्यवसाय को अनुज्ञात करने की शक्ति.- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो न तो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और न ही उसका नाम धारा 62 के अधीन तैयार की गयी और रखी गयी सूची में सम्मिलित है, किन्तु जिसका नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) के उपबंधों के अधीन संधारित होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर के भाग 2 में तत्समय चढ़ा हुआ है, राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा-व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञा ऐसी रीति से और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाये, मंजूर की जायेगी।"।

6. 1970 के राजस्थान अधिनियम सं. 1 की धारा 50 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 50 में अन्त में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे कारावास से, जो दो वर्ष

तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. 1970 के राजस्थान अधिनियम सं. 1 की धारा 51 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) जो कोई इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह दोषसिद्धि पर ऐसे कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा और, यदि इस प्रकार का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई संगम है तो ऐसे संगम का प्रत्येक सदस्य, जो जानते हुए और जानबूझ कर उक्त उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या उसकी अनुमति देता है, दोषसिद्धि पर ऐसे कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।"।

8. 1970 के राजस्थान अधिनियम सं.1 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 में,-

(क) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> "(1) यदि ऐसी तारीख के पश्चात् जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, किसी रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथ से भिन्न कोई व्यक्ति या धारा 49-क के अधीन अनुज्ञात व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति जिसका नाम धारा 62 के अधीन तैयार की गयी और रखी गयी सूची में प्रविष्ट है, से भिन्न कोई व्यक्ति होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का या तो प्रत्यक्षत: या विवक्षित रूप से चिकित्सा-व्यवसाय करता है या स्वयं को चिकित्सा-व्यवसाय करने के लिए तैयार किये जाने के रूप में व्यपदिष्ट करता है, तो वह

दोषसिद्धि पर ऐसे कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा और जहां अपराध जारी रहता है वहां ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसके दौरान अपराध प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, ऐसे और जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"; और

(ख) विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

9. 1970 के राजस्थान अधिनियम सं.1 की धारा 57 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 57 की उप-धारा (2) में,-

(क) खण्ड (ध) के अन्त में आया हुआ शब्द "और" हटाया जायेगा; और

(ख) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ध) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (न) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(धक) वह रीति जिससे, और वह फीस जिसके संदाय पर, किसी व्यक्ति को, राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए धारा 49-क के अधीन अनुज्ञात किया जायेगा; और"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 की धारा 30, 31 और 35 में उपबंधित फीस वर्ष 1969 में विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार विहित की गयी थी। अब वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और बोर्ड का राजस्व बढ़ाने के लिए संशोधन प्रस्तावित हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की सलाह के अनुसार फीस और नवीकरण के समय प्रभार्य फीस और नवीकरण के लिए विहित कालावधि से भी संबंधित धाराओं में संशोधन प्रस्तावित हैं।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 15 को ध्यान में रखते हुए, धारा 50, 51 और 53 में कारावास सहित शास्तियों के संशोधन प्रस्तावित हैं। इससे राजस्थान में होम्योपैथी का चिकित्सा-व्यवसाय कर रहे अप्राधिकृत व्यक्तियों को प्रभावी रूप से रोका जा सकेगा। होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन राजस्थान होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड की अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य करके, अन्य राज्य बोर्डों में रजिस्ट्रीकृत और राजस्थान राज्य में होम्योपैथी में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए धारा 49 के पश्चात् एक नया उपबंध धारा 49-क अन्त:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार को धारा 49-क के अधीन नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए धारा 57 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।
अतः विधेयक प्रस्तुत है।

कालीचरण सराफ,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो राज्य सरकार को, ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने उल्लिखित मामलों के संबंध में, नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

खण्ड	**के संबंध में**
30(3)	रजिस्ट्रीकरण शुल्क विहित करना;
31(1)	वह कालावधि विहित करना, जिस पर प्रत्येक रजिस्टर्ड होमियोपैथ चिकित्सा व्यवसाय करने का हकदार होगा और प्रत्येक पांच वर्ष की कालावधि के लिए नवीकरण शुल्क भी विहित करना;
35	रजिस्टर में नयी उपाधियां, विद्योपाधि अथवा अर्हताओं की प्रविष्टि करवाने के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा संदेय फीस विहित करना;
49-क (2)	उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञा मंजूर करने की रीति और संदत्त की जाने वाली फीस विहित करना; और
57	किसी व्यक्ति को राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा-व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञा मंजूर करने हेतु रीति और संदत्त की जाने वाली फीस विहित करना।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

कालीचरण सराफ,]

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम सं. 1) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

30. रजिस्ट्रीकृत किये जाने के हकदार व्यक्ति.- (1) से (2) XX XX XX

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन पचास रुपया रजिस्ट्रीकरण शुल्क के साथ किया जायगा।

(4) से (7) XX XX XX XX XX

31. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण.- (1) प्रत्येक रजिस्टर्ड होमियोपैथ उस तारीख, जिस पर उसका नाम रजिस्ट्रीकृत किया गया है, से तीन वर्ष तक चिकित्सा व्यवसाय करने का हकदार होगा तथा यदि वह उक्त समयावधि के अवसान के पश्चात् चिकित्सा व्यवसाय चालू रखने का इच्छुक है तो वह प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिये पच्चीस रुपया नवीकरण शुल्क के साथ रजिस्ट्रार को आवेदन देने पर अपने नाम को रजिस्टर में चालू रखने का हकदार होगा।

(2) XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

35. नई उपाधियों तथा अर्हताओं की प्रविष्टि.- यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट है, ऐसी उपाधि, विद्योपाधि अथवा अर्हता, जिसके संबंध में वह रजिस्ट्रीकृत किया गया है, से भिन्न कोई उपाधि, विद्योपाधि अथवा अर्हता अभिप्राप्त करता है, तो वह ऐसी फीस, जो पांच रुपये से अनधिक हो, जैसी कि वह विहित की जाये, संदत्त करने पर रजिस्टर में अपने नाम के सामने, या तो पहले की गई किसी प्रविष्टि का प्रतिस्थापन करते हुये या उसमें परिवर्धन करते हुये, उक्त

अन्य उपाधि, विद्योपाधि अथवा अर्हता बताने वाली प्रविष्टि करवाने का हकदार होगा।

XX XX XX XX XX

50. ऐसे अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो यह व्यपदिष्ट करता है कि वह रजिस्ट्रीकृत है, के लिये शास्ति.- यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम होमियोपैथों के रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं है, ऐसा झूठा बहाना करता है कि वह इस प्रकार प्रविष्ट है अथवा अपने नाम या उपाधि के साथ ऐसे कोई शब्द या अक्षर प्रयोग करता है जो यह व्यपदिष्ट करते हों कि उसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट है, तो वह चाहे उक्त व्यपदेशन द्वारा कोई व्यक्ति वास्तव में प्रवंचित किया जाता है या नहीं दोषसिद्ध ठहराया जाने पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

51. अप्राधिकृत व्यक्ति या संस्था द्वारा डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति इत्यादि, प्रदान, अनुदान, या जारी किया जाना.- (1) XX XX XX XX XX

(2) जो कोई इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वह, दोषसिद्ध ठहराया जाने पर, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो कि पांच सौ रुपयों तक बढ़ाया जा सकता है और, यदि इस प्रकार का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई संगम (एसोसियेशन) है तो उक्त संगम का प्रत्येक सदस्य, जो जानबूझ कर और स्वेच्छा से उक्त उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या उसकी अनुमति देता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो सौ रुपयों तक बढ़ाया जा सकता है।

XX XX XX XX XX

53. अधिनियम के उल्लंघन में चिकित्सा व्यवसाय करने पर शास्ति.- (1) यदि ऐसी तारीख के पश्चात् जो राज्य सरकार शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ से भिन्न अथवा ऐसे व्यक्ति जिसका नाम धारा 62 के अधीन तैयार की गई तथा रखी गई सूची में प्रविष्ट है, से भिन्न कोई

व्यक्ति होमियोपैथिक पद्धति की चिकित्सा का या तो सीधे अथवा विवक्षित तौर पर चिकित्सा-व्यवसाय करता है, अथवा स्वयं को चिकित्सा-व्यवसाय करने अथवा चिकित्सा-व्यवसाय करने के लिए तैयार किये जाने के रूप में व्यपदिष्ट करता है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकता है, तथा अपराध चालू है तो ऐसे और जुर्माने से दण्डनीय होगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपये तक का हो सकता है जिसके दौरान अपराध उक्त प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् चालू रहता है।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को होमियोपैथिक पद्धति की चिकित्सा का चिकित्सा-व्यवसाय करने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी यदि वह चिकित्सा व्यवसाय खैरात के लिए करता है, जीविका के लिये नहीं:

परन्तु यह कि उक्त व्यक्ति इस अधिनियम के अध्याय 5 में विनिर्दिष्ट होमियोपैथों के विशेषाधिकारों का हकदार नहीं होगा।

(3) XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

57. नियम.- (1) XX XX XX XX XX

(2) विशेषत: तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित मामलों में से किसी कि लिये नियम बना सकती है, अर्थात्:-

(क) से (द) XX XX XX XX XX

(ध) अनुज्ञप्ति-पत्र अनुदान करने, अनुज्ञप्ति-पत्र का नवीकरण करने तथा तदर्थ देय फीस के लिये शर्तें; और

(न) XXXX XX XX XX

(3) से (4) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 1 of 2017

THE RAJASTHAN HOMOEOPATHIC MEDICINE (AMENDMENT) BILL, 2017

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Homoeopathic Medicine Act, 1969.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Rajasthan Homoeopathic Medicine (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 1 of 1970.- In sub-section (3) of section 30 of the Rajasthan Homoeopathic Medicine Act, 1969 (Act No. 1 of 1970), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression "a registration fee of Rs. 50/-.", the expression "such registration fee as may be prescribed by the State Government." shall be substituted.

3. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 1 of 1970.- In sub-section (1) of section 31 of the principal Act,-

(a) for the existing expression "for a period of three years", the expression "for such period as may be prescribed by the State Government" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "a renewal fee of twenty-five rupees for every period of three years", the expression "such renewal fee as may be prescribed for every period of five years" shall be substituted.

4. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 1 of 1970.- In section 35 of the principal Act, for the existing

expression "not exceeding rupees five as may be prescribed", the expression "as may be prescribed" shall be substituted.

5. Insertion of section 49-A, Rajasthan Act No. 1 of 1970.- After the existing section 49 and before the existing section 50 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"49-A. Power of the State Government to permit practice in certain cases.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may permit a person, who is neither registered under this Act nor his name included in the list prepared and kept under section 62 but whose name is for the time being borne on Part II of the Central Register of Homoeopathy maintained under the provisions of Homoeopathy Central Council Act, 1973 (Central Act No. 59 of 1973), to practise the Homoeopathic System of Medicine in the State.

(2) The permission under sub-section (1) shall be granted in such manner and on payment of such fees as may be prescribed.".

6. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 1 of 1970.- In section 50 of the principal Act, for the existing expression "with fine which may extend to two hundred rupees.", appearing at the end, the expression "with imprisonment which may extend to two years, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both." shall be substituted.

7. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 1 of 1970.- For the existing sub-section (2) of section 51 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(2) Whoever contravenes the provisions of this section shall be punishable, on conviction, with imprisonment which may extend to two years, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both and, if the person so contravening is an association, every member of such association, who knowingly and wilfully authorises or permits the contraventions, shall be punishable, on conviction, with imprisonment which may extend to two years, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.".

8. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 1 of 1970.- In section 53 of the principal Act,-

(a) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) If after such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf

any person other than a registered homoeopath or other than a person who is permitted under section 49-A, or other than a person whose name is entered in the list prepared and kept under section 62, practises or holds himself out, whether directly or by implication, as practising or as being prepared to practise, the Homoeopathic System of Medicine, he shall be punishable, on conviction, with imprisonment which may extend to two years, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both and where the offence is a continuing one, with a further fine which may extend to one thousand rupees for each day during which the offence continues after first conviction." ; and

(b) the existing sub-section (2) shall be deleted.

9. Amendment of section 57, Rajasthan Act No. 1 of 1970.- In sub-section (2) of section 57 of the principal Act,-

(a) in clause (s), the word "and", appearing at the end, shall be deleted ; and

(b) after the clause (s), so amended, and before the existing clause (t), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(sa) the manner in which, and the fee on payment of which, a person shall be permitted under section 49-A to practise the Homoeopathic System of Medicine in the State; and".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The fees provided in section(s) 30, 31 and 35 of Rajasthan Homoeopathic Medicine Act, 1969 were prescribed as per the prevailing circumstances of the year 1969. Now the amendments are proposed keeping in view the present circumstances and to increase the revenue of the Board.

As per the advice of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, amendments are proposed in the sections relating to fee and fee chargeable at the time of renewal and also the period prescribed for renewal.

Amendments of penalties in sections 50, 51 and 53 along with imprisonment are proposed keeping in view section 15 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973. It would effectively prevent unauthorized persons practising Homoeopathy in Rajasthan. A new provision section 49-A is proposed to be inserted after section 49 for effective control on the persons registered with other State Boards and practising Homoeopathy in the State of Rajasthan by making it compulsory to obtain permission of the Rajasthan Board of Homoeopathic Medicine under section 26 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973. Section 57 is proposed to be amended to empower the State Government to make rule under section 49-A.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

कालीचरण सराफ,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to matters stated against each such clause :-

Clauses	**With respect to**
30 (3)	prescribing the registration fee;
31 (1)	prescribing the period for which every registered Homoeopath shall be entitled to practise and also prescribing the renewal fee for every period of five years;
35	prescribing payment of fee to be made by a person entitled to have an entry of new titles, degree or qualifications in the register;
49-A (2)	prescribing the manner and fees to be paid for granting permission under sub-section (1); and
57	prescribing the manner and fee to be paid for granting permission to a person to practise the Homoeopathic System of Medicine in the State.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

कालीचरण सराफ,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN HOMOEOPATHIC MEDICINE ACT, 1969
(Act No. 1 of 1970)

XX XX XX XX XX XX XX

30. Persons entitled to be registered.– (1) to (2) xx xx xx

(3) An application for registration under sub-section (1) or (2) shall be accompanied with a registration fee of Rs. 50/-. Such fee shall not be refundable under any circumstances.

(4) to (7) xx xx xx xx xx xx xx

31. Renewal of Registration.– (1) Every registered Homoeopath shall be entitled to practice for a period of three years from the date on which his name has been registered and if he desires to continue to practice after the expiry of the said period, he shall, upon an application made to the Registrar along with a renewal fee of twenty-five rupees for every period of three years, be entitled to the continuance of his name in the register.

(2) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

35. Entry of new titles and qualifications.- If a person whose name is entered in the register obtains any title, degree or qualification other than the title, degree or qualification in respect of which he has been registered, he shall on payment of such fee not exceeding rupees five as may be prescribed be entitled to have an entry stating such other title, degree or qualification made against his name in the register, either in substitution for, or in addition to, any entry previously made.

XX XX XX XX XX XX XX

50. Penalty on un-registered person representing that he is registered.- If a person whose name is not entered in the register of Homoeopaths falsely pretends that it is so entered or uses in connection with his name or title any word or letters representing that his name is so entered, he shall, whether any person is actually deceived by such representation or not, be punishable, on conviction, with fine which may extend to two hundred rupees.

51. Conferring, granting or issuing diploma, licence etc. by an un-authorised person or institution.- (1) xx xx xx xx

(2) Whoever contravenes the provisions of this section shall be punishable, on conviction, with fine which may extend to five hundred rupees and, if the person so contravening is an association every member of such association, who knowingly and wilfully authorises or permits the contravention, shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees.

XX XX XX XX XX XX XX

53. Penalty for practicing in contravention of the Act.- (1) If after such date as the State Government may by notification in the Official Gazette specify in this behalf any person other than a registered homoeopath or other than a person whose name is entered in the list prepared and kept under section 62, practices or holds himself out, whether directly or by implication, as practicing or as being prepared to practice, the Homoeopathic system of medicine, he shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees and where the offence is a continuing one, with a further fine which may extend to twenty-five rupees for each day during which the offence continues after the first such conviction.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall be deemed to prohibit any person from practicing the Homoeopathic system of medicine if he practices it for charity and not for livelihood:

Provided that such person shall not be entitled to the privileges of Homoeopaths specified in Chapter V of this Act.

(3) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

57. Rules.- (1) xx xx xx xx xx xx

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules for any of the following matters, namely:-

(a) to (r) xx xx xx xx xx xx

(s) the conditions for the grant of licence, the renewal of licence and the fees payable therefor; and

(t) xx xx xx xx xx xx

(3) to (4) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

2017 का विधेयक सं.1

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
सचिव।

(कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 1 of 2017

THE RAJASTHAN HOMOEOPATHIC MEDICINE (AMENDMENT) BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Homoeopathic Medicine Act, 1969.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(**Kali Charan Saraf, Minister-Incharge**)